रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, दिसम्बर 29, 2013—जनवरी 4, 2014, शनिवार/पौष 8—पौष 14, 1935
No. 1] NEW DELHI, DECEMBER 29, 2013—JANUARY 4, 2014, SATURDAY/PAUSA 8—PAUSA 14, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2013

सा.का.नि. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिंदी शिक्षण योजना (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1979 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधीन अनुसंधान सहायक (भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, अनुसंधान सहायक (भाषा) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनुसंधान सहायक (भाषा)	*05 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 ₹ + ग्रेड वेतन 4200 ₹	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, (₹ 5200—20200) और ग्रेड वेतन 2800 ₹ या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में 6 वर्ष सेवा कर चुके हों ।

(11)

(iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, (₹ 5200—20200) और ग्रेड वेतन 2400 ₹ या समतुल्य के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में 10 वर्ष सेवा कर चुके हों और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिंदी में मास्टर डिग्री या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी सहित किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में हो ।

(ii) हिंदी में शब्दावली कार्य का और अंग्रेजी से हिंदी अथवा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान्यता दी जाएगी, या

हिंदी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का दो वर्ष का अनुभव ।

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए :

प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :

वेतन बैंड-2, 9300—34800 ₹ और ग्रेड वेतन 4200 ₹ या समतुल्य में कनिष्ठ कमिशंड आफिसर के रैंक के ऐसे सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है । यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर किए गए वास्तविक चयन से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी । (सिविल पदों के प्रति निर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या

	(11)
	वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय किया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों की पुष्टि पर विचार हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना —सदस्य 3. अवर सचिव, राजभाषा विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना तब आवश्यक है जब कोई अधिकारी आमेलन के लिए विचार क्षेत्र में है और जब कोई सशस्त्र बलों के कार्मिक प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए विचार क्षेत्र में हैं ।

[फा. सं. 14034/38/2009-राभा (प्रशि.)]

सूरज भान, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 618, तारीख 28 अप्रैल, 1979 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि. 47, तारीख 16 फरवरी, 2002 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

New Delhi, the 23rd December, 2013

G.S.R. 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Hindi Teaching Scheme (Research Assistant) Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant (Language) in the Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Research Assistant (Language) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Assistant (Language)	05* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 plus Grade Pay of ₹ 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces personnel re-employed

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(10)	(11)
By deputation/absorption For Armed Forces Personnel Deputation/ re-employment	**Deputation/Absorption :** Officers under the Central Government : (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the Pay Band-1, ₹ 5200—20200 plus Grade Pay of ₹ 2400 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(11)

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

(i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a subject at degree level; or

Master's Degree of a recognized University in English with Hindi as a subject at degree level; or

Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level; or

Master's Degree of a recognized University in any subject with Hindi Medium and English as subject at the degree level; or

Master's Degree of a recognized University in any subject with English Medium and Hindi as subject at the degree level.

(ii) Two years experience in the terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific Literature or

Two years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.

For Armed Forces Personnel :

Deputation/Re-employment :

The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer in Pay Band-2 ₹9300—34800 plus Grade Pay of ₹4200 or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered and if selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employed terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment shall be on re-employment basis. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil posts).

Note 1 : Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absoption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : For the purpose of appointment on deputation/absoption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Armed Forces Personnel Re-employed) consisting of : 1. Director, Central Hindi Training Institute —Chairman 2. Joint Director, Hindi Teaching Scheme, Central Hindi Training Institute —Member 3. Under Secretary, Department of Official Language —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary when an officer is in the field of consideration for absorption and when an Armed Forces Personnel is in the field of consideration for deputation/re-employment.

[F. No. 14034/38/2009-OL (Training)]

SURAJ BHAN, Dy. Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 618, dated the 28th April, 1979 and subsequently amended vide G.S.R. 47, dated the 16th February, 2002.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.